खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी

भाईयों एवं बहनों

अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आवश्यक सूचना

झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एव विकास निगम, राँची के द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एंव वित्त निगम, नई दिल्ली के सहयोग से निम्नलिखित योजनाओं में सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 20.08.2018 तक आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य एंव स्वंय सहायता समूह जो इन योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं और निम्न वर्णित अर्हत्ताएँ रखते हैं वे निगम कार्यालय के पते पर अपना आवेदन दे सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप www.jtdsjharkhand.org->vacancies से डाउनलोड कर सकते हैं।

क्र०सं०	योजना का नाम	अनुमान्य योजना की इकाईलागत	ब्याजदर (वार्षिक)	पुनर्भुगतान की अवधी
1.	सावधि ऋण (Term Loan)	(दस)लाख रूपयेतक।	6%	5 वर्ष
2.	लघुवित्तपोषण योजना (मात्र अल्पसंख्यकस्वयंसहायतासमूह हेतु) (Micro Finance Scheme)	(एक) लाख रूपये तक प्रतिसदस्य अधिकतम 5 (पाँच) लाख रूपये प्रति समूह।	7%	3 वर्ष

योजना के लिए अहर्त्ताएँ

1. आवेदक झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी तथा अल्पसंख्यक समुदाय का होना चाहिए।
2. आवेदकों द्वारा कुल योजना लागत का 10 % स्वंय वहन / उपलब्ध कराना होगा एंव स्वीकृति से पूर्व बैंक खाता में समरूप राशि उपलब्ध होना अनिवार्य होगा।
3. आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो।
4. आवेदक उसी जिले का निवासी हो जहाँ योजना ली जानी है।
5. आवेदक सरकारी / अर्द्ध सरकारी सेवा में न हों।
6. आवेदक किसी प्रकार का कोई सरकारी / अर्द्ध सरकारी संस्थान से ऋण / अनुदान का लाभ पूर्व में नहीं लिया हो और वे किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं का डिफॉल्टर न हो इस आषय का स्वघोषणा पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
7. आवेदक का पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 98,000 / – रूपये तथा शहरी क्षेत्र में 1,20,000 / – रूपये से अधिक न हो।
8. आवेदक को जाति / आय / आवासीय प्रमाण पत्र अनुमंडल पदाधिकारी / उपायुक्त द्वारा निर्गत हो के साथ उम्र संबंधी प्रमाण–पत्र एंव आधारकार्ड की छायाप्रति, योजना प्रस्ताव तथा हाल का खींचा हुआ दो पासपोर्ट साईज फोटो आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से देनाहोगा।
9. योजना से संबंधित कार्यानुभव अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र।
10. वाहन के आवेदकों के लिए कम–से–कम1(एक) वर्ष पहले का बना हुआ व्यवसायिक ड्राईविंग लाइसेंस की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगी।
11. आवेदक को 50,000 / – रूपये तक की राशि के ऋण के लिए गारण्टर की आवश्यकता नहींहै। 50,000 / – रूपये से उपर एंव 2,50,000 / – रूपयेतक की योजनाओंहेतुएकगारन्टरजोसरकारी / अर्द्धसरकारी क्षेत्र / बैंक / सरकार के अधीन बीमा कम्पनी कर्मी हो तथा जिनकी सेवा कम–से–कम 5 वर्ष बची हुई हो अथवा उतनी राशि का विक्रयषील चल / अचल सम्पत्ति गारण्टी के रूप में देना आवश्यक है। 2,50,000 / – रूपये से अधिक की योजनाओं हेतु दो गारन्टर जो सरकारी / अर्द्ध सरकारी क्षेत्र / बैंक / सरकार के अधीन बीमा कम्पनी कर्मी होतथाजिनकी सेवा कम–से–कम 5 वर्ष बची हुई हो अथवा उतनी राशि का विक्रय शीलचल / अचलसम्पत्ति को गारन्टी के रूप में देनी आवश्यक होगी।
12. स्वयं सहायता समूह को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्धारित मापदंडो के अनुरूप क्रियाशील होना अनिवार्य है। उनके द्वारा पिछली दो ग्रेडिंग की रेटिंग उपलब्ध कराना होगा। साथ ही स्वयं सहायता समूह को उनके पिछले तीन साल का बैंक का लेन देन का ब्योरा, नियमित बैठक की कार्यवाही का विवरणी, बैठक की उपस्थिति पंजीका की छायाप्रति अनिवार्य रूप से देनी होगी।
13. प्राप्त आवेदनों की निगम द्वारा जाँच की जाएगी एंव जाँच का फलाफल सभी आवेदकों को मान्य होगा।
14. आवेदन निम्न पते पर भेजें :–

झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एंव विकास निगम

(कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार का उपक्रम) प्रथमतल, कल्याण कॉप्लेक्स, बलिहार रोड, मोराबादी, राँची–834008

फोन–0651 2552055, ई–मेल: jsmfdc.ranchi@gmail.com